राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, मंगलवार, दिनांक-४ दिसम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में मध्यान्ह पूर्व ११-६ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री गुरुमुखनिहालसिंह, राज्यपाल ने मध्यान्ह पूर्व ११-६ बजे सदन में पदार्पण किया एवं श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, की अध्यक्षता में मध्यान्हपूर्व ११-६ बजे अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया)

श्री गुरुमुख निहालसिंह (राज्यपाल)—माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य की विधान सभा के इस सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष है।

आजादी के बाद देश के प्रशासनिक नक्शे में कई बार हेर फेर करने की आवश्यकता हुई इसक मुख्य कारण देशी राज्यों का एकीकरण है। हर एकीकरण का अभिप्राय राज्य में प्रशासनिक मजबूती एवं आर्थिक विकास रहा है। राजस्थान के एकीकरण की सफलता का बहुत कुछ श्रेय यहां के भूतपूर्व नरेशों को है, जिन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर त्याग एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस बात को एकीकरण के निर्माता स्वर्गीय पटेल ने भी माना है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि राजस्थान के सभी हिस्सों के सब वर्गों ने सराहनीय योग दिया है जिसके फलस्वरूप आज यह वृहद् राज्य भी भारत के चौदह नवीन अंगों में से एक बराबरी का अंग है।

जिस प्रकार देश के इतिहास में राजस्थान का खास स्थान है वैसा ही महत्व आबू और अजमेर का राजस्थान के इतिहास में है। जहां आबू राजस्थान की पुरानी कला और इतिहास का द्योतक है वहां अजमेर का भी धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक महत्व है। (करतल-ध्वनि) सुनेल टप्पा का मिल जाना स्वाभाविक ही था। इन सब भागों के एकीकरण से राजस्थान निवासियों का सदियों पुराना स्वप्न साकार हुआ। राजस्थान एक मायने में नया राज्य है, परन्तु यहां के निवासियों की मजबूती, बहादुरी, त्याग तथा औद्योगिक कुशलता प्रसिद्ध रही है। प्राकृतिक साधनों की भी सौभाग्य से यहां कमी नहीं है। स्वतन्त्रता के बाद लोकतन्त्रीय शासन से जनता में देश के निर्माण की एक नई उमंग व चेतना पैदा हुई है। हमें इनके समन्वय में आशाजनक सफलता मिली है। इस प्रगति को कायम रखने के लिये सरकार को हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राज्य के विकास में अधिक से अधिक सबका सहयोग मिलता रहेगा। वर्तमान प्रगति को देखते हुये मुझे इस राज्य का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है।

श्री गुरुमुखनिहालसिंह]

नये राज्य की स्थापना के साथ सरकारी कर्मचारियों के एकीकरण तथा स्थानीय कानूनों एवं करों के समानीकरण की समस्या पेश आनी स्वाभाविक ही थी। सरकारी कर्मचारियों के एकीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मियादी जगहों पर काम करने वाले तथा एक महीने से कम मुलाजमत वाले कर्मचारियों को छोड़ कर किसी भी स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी की छटनी नहीं की गई। सरकार प्रयत्नशील है कि जो छटनी में आ गये हैं उनको भी काम पर लगाया जावे। कानूनों के समानीकरण का सवाल भी सरकार के विचाराधीन है।

राज्य की तरक्की के लिये सभी प्रकार की सुरक्षा का आभास होना जरूरी है। इस सुरक्षा का एक स्वरूप हैं, जनता के जान एवं माल की हिफाजत। सात सौ मील लम्बी भारत-पाकिस्तान सीमा, दूर तक फैला हुआ पहाड़ी इलाका, बालू के चलते फिरते टीबे और चम्बल नदी के गहरे खार, राज्य की सुरक्षा की समस्या को उलझनमय बनाते हैं। देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजनैतिक एवं आर्थिक दशा के उलट फेर ने जन सुरक्षा के क्षेत्र में और भी नई समस्याओं को ला उपस्थित किया। पिछले सात वर्षों के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि हमें इस दिशा में सफलता मिली है। लगभग २,९०० डाकुओं को खत्म (liquidate) किया गया और इसके फलस्वरूप डकैतियों की संख्या स्पष्ट रूप से घट गई। पिछले आठ माह में ४६ डकैतियां हुई, जब कि सन् १९४६ में इनकी संख्या ३५८ थी। इसी तरह अन्य अपराधों में भी कमी होती जा रही है और अब इस राज्य की जन सुरक्षा की स्थिति सन्तोषजनक है। डाकू समस्या पुलिस के लिये एक विकट चुनौती थी और जिस सराहनीय धैर्य और वीरता से इन्होंने इस चुनौती का जवाब दिया वह सराहनीय है।

भूमि के अधिकार की रक्षा जान एवं माल की हिफाजत से कम महत्व की नहीं है। इस पर समाज के अस्सी प्रतिशत से भी बड़े अंग का जीवन एवं विकास निर्भर है। इस दिशा में की गई प्रगति किन्हीं अंशों में तो अपनी सानी नहीं रखती। खास तौर से इस राज्य की विभिन्न इकाइयों में अलग अलग तरह की कानून, प्रथाएं एवं आर्थिक स्तर थे। नये कानून ने किसान के सारे हक सुरक्षित कर दिए हैं। इस प्रकार का अधिकार देश के इस भाग में किसान को आजादी के बाद पहली बार ही प्राप्त हुआ है। उसके लिये अब विकास का मार्ग खुल गया है। राज्य का (Tenancy Act) देश के प्रगतिशील कानूनों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने हाल ही में भूमि आयोग की नियुक्ति कर दी है। यह आयोग भूमि की समस्त समस्याओं को हल करने में सहायक होगा एवं भविष्य के लिये एक प्रगतिशील नीति के निर्धारित करने में योग दे सकेगा।

राजस्थान की जागीर की समस्या अपने ढंग की अनूठी रही है। राज्य का आधे से अधिक हिस्सा इनके अन्तर्गत था। राज्य सरकार ने अब तक करीब साढ़े छः हजार जागीरों को

[श्री गुरुमुखनिहाल सिंह]

अपने अधिकार में ले लिया है। इसके अतिरिक्त अजमेर में करीब पांच हजार आठ सौ इस्तमरारी स्टेट्स का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है। जागीरदारों को तात्कालिक सुविधा देने के लिये अन्तर्कालीन मुआवजा देने की भी व्यवस्था की गई है। अब तक करीब दो करोड़ रुपये अन्तर्कालीन मुआवजे के रूप में दिये जा चुके हैं। जागीरदारों के पुनर्संस्थापन के लिये सरकार प्रयत्नशील है और खुदकाश्त के लिये काफी तादाद में जमीनें दी जा चुकी हैं और जहां जहां जमीनें उपलब्ध हैं दी जा रही हैं। भाकरा सिंचित हिस्से में १,३०० परिवारों को जमीन दी जा चुकी है। इसके अलावा कम आमदनी वाले जागीरदारों को किन धन्धों में लगाया जा सकता है इसकी जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई जिसकी सिफारिशें सरकार के पास इसी माह में पेश हो जावेंगी। जागीरदारों के पुनर्संस्थापन को सरकार एहमियत दे रही है और देती रहेगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बढ़ते हुए कार्यभार को सुचारु रूप से चला सकने के लिये प्रशासनिक ढांचे को किस तरह से सुदृढ़ किया जावे, इसकी जांच करने के लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की। काफी जांच पड़ताल के बाद इस कमेटी ने अपने सुझाव पेश किये, जिन पर सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। इनके फलस्वरूप सारे ही बड़े जिलों में अतिरिक्त जिलाधीश नियुक्त कर दिये गये हैं और जिला स्तर पर कलेक्टरियों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है। कलेक्टरों और कमिश्नरों को रोजाना के मामूली कामों से मुक्त कर दिया गया है ताकि वे योजना एवं विकास के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दे सकें। इसी प्रकार, जिला और डिविजन स्तरों पर जिलाधीशों और कमिश्नरों को उनके स्तर पर तमाम विकास सम्बन्धी विभागों के कार्यों के समन्वय के लिये जिम्मेदार बना दिया गया है। टेक्निकल विभागों के कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक वृद्धि कर दी गई है। पशुपालन को कृषि विभाग से पृथक कर, एक अलग विभाग स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिंचाई के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए एक और चीफ इन्जीनियर की जगह कायम की गई है। इस योजनाकाल व तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षों के टेक्निकल कर्मचारियों की आवश्यकता की भी जांच की गई है और इंजीनियरों, ओवरसियरों, डाक्टरों और पशु चिकित्सकों वगैरा की मांग को देखते हुए टेक्निकल संस्थायें खोली गई हैं या जो संस्थायें अभी प्रशिक्षण दे रही हैं उनमें विस्तार किया गया है और कुछ और संस्थायें खोलने का भी प्रस्ताव है।

विकास के कार्यों में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनको सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। सरकार ने इस लिये हाल ही में यह निश्चय किया है कि भूमि कर में से एक आना रुपया तक पंचायतों को अनुदान दिया जावे।

प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ करने के बाद योजना की सफलता उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो अथवा औद्योगिक क्षेत्र में, इसकी महत्ता हमारे राज्य में जहां अन्न

[श्री गुरुमुखनिहाल सिंह]

का हमेशा अभाव रहा है, और भी अधिक है। इसी कारण से पहिली और दूसरी योजना में कृषि व सिंचाई पर सबसे अधिक बल दिया गया और हम पहिली पंचवर्षीय योजना की अवधि में अपने निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक अन्न उत्पन्न कर पाये।

केन्द्रीय सरकार एवं योजना आयोग की नीति के अनुसार राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन के पूर्व निश्चित लक्ष्य में अधिक वृद्धि करने की दृष्टि से कार्यक्रम पर पुनर्विचार किया। योजना आयोग एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के पश्चात् अन्न के उत्पादन का पूर्व निश्चित वृद्धि का छः लाख टन का लक्ष्य ७—८ लाख कर दिया गया। कपास एवं गन्ने के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः १ लाख १६ हजार गांठें व ६ लाख टन हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:—

१. राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के खोलते समय सिंचाई वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाय और प्रत्येक विस्तार सेवा खंड का लक्ष्य निश्चित किया जाये।

२. परीक्षण के तौर पर सामुदायिक विकास खंडों के उन गांवों में जिनमें सिंचाई के काफी साधन उपलब्ध हैं, अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

३. रसायनिक खादों के साथ गोबर, कचरे एवं हरी खाद का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाये।

४. उन्नत किस्म के बीजों के वितरण के कार्य-क्रम को प्रथम तीन वर्षों में पूर्ण कर लिया जावे।

५. सिंचाई के बांध एवं नहरों के निर्माण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि उसका लाभ शीघ्र ही उठाया जा सके। इसके अलावा कृषकों को कुए खोदने के लिए तकावी की धन-राशि में वृद्धि की गई है। अल्पकालीन ऋण के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है और इस वर्ष में ३० लाख रुपये का अधिक ऋण दिया गया है।

कृषि उत्पादन के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार कटिबद्ध है।

कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी उद्योग एवं बड़े उद्योगों के क्षेत्र में उपयुक्त वातावरण एवं प्रगति आ रही है। हाल ही में भारत सरकार की लाईसेन्सिंग कमेटी ने चित्तौड़ एवं नीम के थाने में सीमेंट फैक्ट्रियां लगाने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त एक सीमेंट फैक्ट्री आबू रोड

[श्री गुरुमुखनिहाल सिंह]

के लिए भी मंजूर हो गई है। लखेरी एवं सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्रियों का विस्तार हो रहा है। मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना खोलने की मंजूरी भरतपुर के लिए हो चुकी है। इसके अन्तर्गत कोचिंग अण्डर फ्रेम्स का कार्य भी चलेगा। ऐसे ही माल गाड़ी के डिब्बे बनाने की एक फैक्ट्री जयपुर में, नायलन रैयन उत्पादन एवं बाईसिकिल बनाने के कारखाने व सहकारिता के आधार पर दो खांड के कारखाने खुलने की संभावना है। जस्त गलाने का कारखाना खोलने के कार्य में भी संतोषजनक प्रगति हो रही है। छोटे उद्योगों के क्षेत्र में भी ठीक उन्नति हुई है। हस्त–कौशल (Handicraft) के क्षेत्र में श्रेणी मापक योजना (Quality marking scheme) जारी कर दी गई है। हर जिले में हाथ कर्घा की सरकारी दुकानें खोली जा चुकी हैं। खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्रों में हमारा काम काफी आगे बढ़ चुका है। अम्बर चर्खे राज्य में काफी तादाद में बनने लग गये हैं तथा काफी तादाद में परिश्रमालय खोले जा रहे हैं।

योजना व्यय के लिए सरकार के पास, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान अथवा कर्ज, सार्वजनिक ऋण व कर में वृद्धि आदि साधन हैं। केन्द्रीय अनुदान का आगामी पांच वर्षों के निश्चय के लिए दूसरे वित्तीय आयोग की नियुक्ति हो चुकी है, और सरकार ने अपनी मांगें तैयार करली हैं, और निकट भविष्य में ही उनसे हमारी बातचीत होने वाली है। कुछ मदों के लिए भारत सरकार ने हमें ऋण देना स्वीकार कर लिया है। इस साल पहिली बार सरकार तीन करोड़ रुपये के ऋण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंची, और केवल तीन घन्टों के अन्दर ही ऋण की मात्रा आवश्यकता से अधिक पहुंच गई।

राज्य में अल्प बचत योजना की प्रगति भी संतोषप्रद है और राज्य के हर हिस्से में हम पहुंचने में सफल होते जा रहे हैं।

कर जांच समिति के आधार पर अतिरिक्त साधनों में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार ने कदम उठाये हैं, जिसके फलस्वरूप टिकट शुल्क (Stamp duty), बिक्री कर, वाहन कर, सिंचाई कर इत्यादि से आय में वृद्धि की आशा है।

इस वर्ष दुर्भाग्यवश अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ से संपत्ति और फसलों को हानि हुई जिसमें भरतपुर व जालौर जिलों के अधिक भागों में हानि हुई है, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये १, ३३, ००० रुपया वितरित किया और तीन लाख रुपया मकानों और तीन ही लाख रुपया दूसरे कामों के लिये तकाबी के रूप में दिया। इन हिस्सों में चिकित्सा का भी प्रबन्ध किया ताकि जनता मलेरिया के प्रकोप से बच सके।

देश के आयोजित विकास के लिये शान्तिमय वातावरण, सुदृढ शासन, जन उत्साह एवं जन सहयोग की आवश्यकता है और इसका महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब कि संसार पर

Page No.6

[श्री गुरुमुखनिहाल सिंह]

अशान्ति के बादल छाये हुए हों। बापू ने जो शान्ति का मार्ग दिखाया है और जिस नीति को भारत सरकार ने अपनाया है हमें आशा है कि वही संसार को इन काले बादलों से निकाल कर प्रकाश देखलायगी।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि सहयोग एवं स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के वातावरण में आप इस विशाल राजस्थान की जनता की उन्नति व कल्याण के उपाय अपनायेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही कल दिनांक ५ दिसम्बर, १६५६ के मध्यन्ह पूर्व ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-४ दिसम्बर, १६५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।